रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234970
CG-DL-E-08042022-234970

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1602]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2022/चैत्र 17, 1944
No. 1602]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2022

का.आ. 1685(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150 (ई) के 70.682 कि.मी. से 138.352 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि) प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपजिल्हाधिकारी भूअर्जन क्र.1, सोलापूर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 150 (ई) के महाराष्ट्र सेक्शन) कि.मी. 70.682 से कि.मी 138.352 के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		**जिले का नाम: सोलापूर**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)**
तालुक का नाम: अक्कलकोट					
गांव का नाम: ब्यागेहळ्ळी					
1	24	निजी	कृषि	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
तालुक का नाम: उत्तर सोलापूर					
गांव का नाम: सोलापूर					
1	589/1/1 Pt	निजी	बिनशेती	0.0078000(हेक्टेयर)	0.0078000
2	589/1/2	निजी	शेती	0.0922000(हेक्टेयर)	0.0922000
			कुल	**0.2100**	**0.2100**

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/16/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th April, 2022

S.O. 1685(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central, Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning etc), management and operation of National Highway No. 150 (E), in the stretch of land from Km. 70+682 to Km. 138+352 (Maharashtra Section) in Solapur District in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely the Deputy Collector, Land Acquisition No. 1, Solapur in writing and shall set-out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such bjections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act, shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 70.682 to Km. 138.352 (Maharashtra Section) of the National Highway No. 150 (E) in State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA District: SOLAPUR					
Sl. No.	**Survey / Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Local Unit)**	**Area (in Hectare)**
Taluk: Akkalkot					
Village: Bagehalli					
1	24	Private	Agriculture	0.1100000(Hectare)	0.1100000
Taluk: North Solapur					
Village: Solapur					
1	589/1/1 Pt	Private	Non Agriculture	0.0078000(Hectare)	0.0078000
2	589/1/2	Private	Agriculture	0.0922000(Hectare)	0.0922000
			Total	**0.2100**	**0.2100**

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/16/3A]

RAJESH GUPTA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.08 17:28:54 +05'30'